बालोद के पुष्पा अस्पताल में दोनों नन, आठ को हाई कोर्ट में पेशी

जेल से छूटकर बालोद के पुष्पा हास्पिटल पहुचीं आरोपित नन प्रीति और वंदना। आठ अगस्त को हाई कोर्ट में जाएंगी हस्ताक्षर करने। ● नईदुनिया

रवि भूतड़ा ● नईदुनिया

- मानव तस्करी और मतांतरण के आरोप में 25 जुलाई को दुर्ग से किया था गिरफ्तार
- केंद्रीय जेल से रिहा होने के बाद दोनों नन पुष्पा अस्पताल के वाहन से यहां पहुंचीं

बालोदः एनआइए कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस को बालोद जिले के दल्लीराजहरा स्थित पुष्पा अस्पताल में रखा गया है। वे आठ अगस्त तक यहीं रहेंगी और उसी दिन बिलासपुर हाईकोर्ट में हस्ताक्षर के लिए पेश होंगी। दोनों को 25 जुलाई को दुर्ग के रेलवे स्टेशन से मानव तस्करी और मतांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के अनुसार, जेल से रिहा होने के बाद दोनों नन शनिवार देर शाम पुष्पा अस्पताल के वाहन से यहां पहुंचीं।

रविवार सुबह उन्होंने चर्च में प्रार्थना की और आवास परिसर में ही रहीं। हालांकि, दोनों नन किसी से बातचीत नहीं कर रही हैं। दल्लीराजहरा पुलिस उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। प्रीति और वंदना के साथ पास्टर सुखमन मंडावी को एनआईए कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही उनके देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है और पासपोर्ट जमा कराने का आदेश भी दिया गया है। इन ननों पर आरोप है कि उन्होंने नारायणपुर की तीन आदिवासी युवतियों का जबरन मतांतरण कराया और उनकी तस्करी करने का प्रयास किया। एक युवती का बयान सामने आया है, जिसमें उसने कहा कि उसे ननों के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया गया था।